

Disclaimer

The Institute has given the right of translation of the material in Hindi and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer with English version.

अस्वीकरण

भारतीय लेखाकार संस्थान ने इस अध्ययन विषय-वस्तु के हिंदी अनुवाद का अधिकार किसी को दिया था और अनुवादित संस्करण की गुणवत्ता के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, इस अध्ययन विषय-वस्तु के मूल रूप की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है, फिर भी, यदि हिंदी में कोई त्रुटि या चूक दिखाई देती है तो कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

पेपर- 8: अप्रत्यक्ष कर कानून

- (i) इस प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देना अनिवार्य है और शेष 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं।
- (ii) वर्किंग नोट्स को उत्तरों से संबद्ध होना चाहिए।
- (iii) सभी प्रश्नों का उत्तर (i) जीएसटी कानून की स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए, जैसा कि 31.10.2021 तक जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं/परिपत्रों द्वारा संशोधित किया गया है और (ii) वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित सीमा शुल्क कानून और महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं/परिपत्रों को जारी किया गया है। 31.10.2021.

प्रश्न 1

सुपरमार्केट अहमदाबाद, गुजरात में एक मालिकाना फर्म और जीएसटी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता है। सुपरमार्केट की माह दिसंबर 2021 की आपूर्ति, खरीद और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण (ब्यौरा)	राशि (₹)
जावक आपूर्ति का विवरण	
इंट्रा-राज्य	45,00,000
(ii) अंतर-राज्यीय	15,00,000
(iii) जीएसटी के तहत छूट की आपूर्ति	6,00,000
आवक आपूर्ति का विवरण	
(i) इंट्रा-राज्य	40,00,000
(ii) अंतर-राज्यीय	10,00,000
(iii) जीएसटी के तहत छूट की आपूर्ति	5,00,000
खर्च का विवरण:	
(i) माल के अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए जीटीए को भुगतान किया गया भाड़ा [भुगतान किए गए माल का 20% जीएसटी के लिए उत्तरदायी नहीं माल के परिवहन के लिए था।]	60,000
(ii) टेलीफोन व्यय	

[उपर्युक्त में से ₹ 18,000 सेल्स आउटलेट में स्थापित लैंडलाइन पर और ₹ 12,000 फर्म के कार्य के संबंध में कर्मचारियों को प्रदान किए गए फोन पर खर्च किए गए।]	30,000
(iii) फर्म के काम के संबंध में फर्म के मालिक द्वारा उपयोग की गई कार पर लिए गए बीमा पर भुगतान किया गया प्रीमियम (अंतर-राज्य)	8,500
(iv) बिक्री आउटलेट में दीवाली समारोह के दौरान किए गए बाहरी खानपान सेवा व्यय	40,000
(v) बिक्री आउटलेट के परिसर के लिए मासिक किराया	60,000

इसके अतिरिक्त यह दिया गया है कि-

दी गई सभी राशियां, जहां भी लागू हो, सभी करों को छोड़कर हैं।

सभी आवक और जावक आपूर्ति गुजरात में व्यवसाय के पंजीकृत स्थान से / के लिए सुपरमार्केट द्वारा की जाती है। ₹ 50 लाख की आवक आपूर्ति का उपयोग केवल कर योग्य आपूर्ति करने के लिए किया गया था और ₹ 5 लाख की छूट वाली आवक आपूर्ति का उपयोग केवल छूट प्राप्त बाहरी आपूर्ति करने के लिए किया गया था।

सुपरमार्केट द्वारा देय अधोमुखी प्रभार के प्रयोजनों के लिए जहां भी लागू हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की दरें क्रमशः 2.5%, 2.5% और 5% हैं। अन्य सभी मामलों में, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की दरें क्रमशः 9%, 9% और 18% हैं।

इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई प्रारंभिक शेष राशि नहीं है।

ऊपर दी गई जानकारी के अधीन, ITC का लाभ उठाने के लिए आवश्यक अन्य सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं।

आपको निम्नलिखित की गणना करने की आवश्यकता है:

- (1) इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किया गया
- (2) प्रभाजन के लिए उपलब्ध सामान्य आईटीसी;
- (3) सामान्य ITC से छूट प्राप्त आपूर्ति के कारण आई.टी.सी;

आपको आईटीसी के उपयोग से संबंधित सीजीएसटी नियमों के नियम 86बी की प्रयोज्यता की जांच करने की आवश्यकता है और यदि लागू हो, तो जीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी की राशि की गणना करें। हालाँकि, नियम 86बी के अपवादों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।

जहाँ भी आवश्यक हो, उपयुक्त धारणाएँ बनाएँ और आवश्यकतानुसार कार्यकारी टिप्पणियाँ बनाएँ।

सीजीएसटी नियमों के नियम 86बी के विभाजन और प्रयोज्यता के लिए उपलब्ध सामान्य आईटीसी के मामले में केवल गणना और आवश्यक संख्यात्मक आउटपुट का समर्थन करने के लिए संक्षिप्त टिप्पणी की आवश्यकता होती है।

संख्यात्मक आउटपुट की गणना के उद्देश्य से सुनिश्चित करें कि प्रश्न में प्रत्येक लेन-देन उत्तर में शामिल है।

(14 अंक)

उत्तर

(1) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा आई.टी.सी की गणना

विवरण (ब्यौरा)	मूल्य (₹)	सी.जी.एस.टी (₹)	एस.जी.ए स.टी (₹)	IGST (₹)
अंतर-राज्य आवक आपूर्ति पर भुगतान किया गया जीएसटी @ 9% कर योग्य है	40,00,000	3,60,000	3,60,000	
कर योग्य @ 18% अंतर-राज्य आवक आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान	10,00,000			1,80,000
आवक आपूर्ति जीएसटी से मुक्त [छूट के बाद से, कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया जाता है।]	5,00,000	--	--	--

कर योग्य माल ¹ @ 2.5% की अंतर-राज्य के लिए जीटीए को भुगतान किया गया भाड़ा [चूंकि जीटीए सेवाओं पर जीएसटी की दर 2.5% है, अधोमुखी प्रभार के तहत कर देय है।]	48,000 [60,000 × 80%]	1,200	1,200	--
अधोमुखी प्रभार के तहत ² @ 2.5%की दर से छूट वाले सामानों के अंतर-राज्य के लिए जीटीए को भुगतान किए गए माल पर जीएसटी [विशेष रूप से छूट प्राप्त आपूर्ति के संबंध में उपयोग की जाने वाली इनपुट सेवाओं पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है।]	12,000 [60,000 × 20%]	--	--	
टेलीफोन खर्च पर जीएसटी ³ @ 9% [व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने	30,000	2,700	2,700	

¹ यह सबसे तार्किक रूप से माना गया है कि माल की कर योग्य बाहरी आपूर्ति के परिवहन पर विशेष रूप से माल ढुलाई का शेष 80% भुगतान किया गया है और उक्त सेवाएं प्रदान करने वाली जीटीए गुजरात राज्य में पंजीकृत हैं।

² यह सबसे तार्किक रूप से माना गया है कि छूट प्राप्त वस्तुओं की बाहरी आपूर्ति के परिवहन पर माल ढुलाई का भुगतान किया गया है।

यदि यह माना जाता है कि छूट प्राप्त वस्तुओं की आवक आपूर्ति के परिवहन पर भाड़े का भुगतान किया गया है, तो उसके संबंध में उपलब्ध आईटीसी की राशि तदनुसार बदल जाएगी।

³ टेलीफोन व्यय को इनपुट सेवाओं की प्रकृति का माना गया है। इसके अलावा, यह माना गया है कि आपूर्तिकर्ता गुजरात राज्य में पंजीकृत हैं।

वाली सेवाओं का आईटीसी उपलब्ध है।]				
<p>फर्म के काम के लिए उपयोग की गई कार पर लिए गए बीमा पर भुगतान किया गया प्रीमियम</p> <p>[आईटीसी उन मोटर वाहनों से संबंधित सामान्य बीमा सेवाओं पर धारा 17(5) के तहत अवरुद्ध है जो आईटीसी के लिए अपात्र हैं।]</p>	8,500	--	--	
<p>आउटडोर खानपान सेवाएं</p> <p>[बाहरी खानपान पर आईटीसी को धारा 17(5) के तहत अवरुद्ध कर दिया गया है, यदि इसका उपयोग बाहरी खानपान की बाहरी आपूर्ति या कर योग्य समग्र/मिश्रित आपूर्ति के तत्व के रूप में नहीं किया जाता है।]</p>	40,000	--	--	
<p>बिक्री आउटलेट के परिसर के लिए मासिक किराए पर जीएसटी @ 9%⁴</p> <p>[व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाओं का आईटीसी उपलब्ध है।]</p>	60,000	5,400	5,400	

⁴ यह माना गया है कि परिसर को किराए पर देने की सेवाओं का आपूर्तिकर्ता गुजरात राज्य में पंजीकृत है।

आई.टी.सी को इलेक्ट्रॉनिक लेज़र में श्रेय दिया जाता है		3,69,300	3,69,300	1,80,000
---	--	----------	----------	----------

(2) प्रभाजन के लिए उपलब्ध सामान्य आईटीसी की गणना

विवरण (ब्यौरा)	सी.जी.एस.टी (₹)	एस.जी.ए स.टी (₹)	IGST (₹)
ITC को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट किया जाता है	3,69,300	3,69,300	1,80,000
घटाएँ: कर योग्य वस्तुओं पर आई.टी.सी	3,60,000	3,60,000	1,80,000
घटाएँ: कर योग्य वस्तुओं के परिवहन के लिए जीटीए को भुगतान किए गए भाड़े पर आईटीसी	1,200	1,200	
बंटवारे के लिए आम ऋण	8,100	8,100	--

(3) छूट प्राप्त आपूर्तियों के कारण आईटीसी की गणना

विवरण (ब्यौरा)	सी.जी.एस.टी (₹)	एस.जी.ए स.टी (₹)	IGST (₹)
छूट प्राप्त आपूर्ति के कारण आईटीसी = सामान्य ऋण एक्स (कर अवधि के दौरान छूट की आपूर्ति का कुल मूल्य / कर अवधि के दौरान कुल कारोबार			
$[\text{₹}8,100 \times (\text{₹}6,00,000 / \text{₹} 66,00,000)]^5$	736	736	

⁵ टेलीफोन व्यय को इनपुट सेवाओं की प्रकृति का माना गया है।

हालांकि, सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 43 के प्रावधानों के अनुसार रिवर्स किए जाने वाले पूंजीगत सामान की प्रकृति के टेलीफोन खर्च पर विचार करना भी संभव है।

- (4) नियम 86बी के संदर्भ में कर के भुगतान के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी की गणना

विवरण (ब्यौरा)	सी.जी.एस.टी (₹)	एस.जी.ए स.टी (₹)	IGST (₹)
<p>प्रक्षेपण कर देनदारी की अधिकतम राशि जो ईसीआरएल से ली जा सकती है [प्रक्षेपण कर देनदारी का 99%]</p> <p>[चूंकि दिसंबर 2021 में छूट प्राप्त आपूर्ति के अलावा अन्य कर योग्य आपूर्ति का मूल्य (₹ 45 लाख + ₹ 15 लाख) ₹ 50 लाख से अधिक है, इलेक्ट्रॉनिक ऋण लेजर से राशि जिसका उपयोग वह उक्त महीने के अपने प्रक्षेपण कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए कर सकता है, सीजीएसटी नियमों के नियम 86बी के संदर्भ में ऐसी कर देयता के 99% से अधिक नहीं हो सकता है। 2017.]</p>	<p>4,00,950</p> <p>[45,00,000</p> <p>× 9%×</p> <p>99%]</p>	<p>4,00,950</p> <p>[45,00,0</p> <p>00 ×</p> <p>9%×</p> <p>99%]</p>	<p>2,67,300</p> <p>[15,00,0</p> <p>00 ×</p> <p>18%×</p> <p>99%]</p>
<p>कर के भुगतान के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी की राशि</p> <p>[चूंकि ईसीआरएल में उसके उत्क्रमण के बाद उपलब्ध आईटीसी उपरोक्त राशि से कम है, जीएसटी के भुगतान के लिए पूरे आईटीसी का उपयोग किया जा सकता है।]</p>	<p>3,68,564</p> <p>[3,69,300</p> <p>- 736]</p>	<p>3,68,564</p> <p>[3,69,30</p> <p>0 - 736]</p>	<p>1,80,000</p>

प्रश्न 2

- (a) मैसर्स ए2जेड, जीएसटी के तहत पंजीकृत एक मालिकाना फर्म, एक ही छत के नीचे विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है। फर्म मार्च, 2022 के दौरान की

गई आपूर्ति/प्राप्त की गई इनपुट सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करती है:

क्र मां क सं ख्या	विवरण	राशि (₹)
1.	आलू के चिप्स के लदान, उतराई, भराई और भंडारण के लिए एकत्रित राशि	15,000
2.	फर्म के कर्मचारियों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत एक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा आयोजित योग शिविर के लिए भुगतान की गई फीस	20,000
3.	अपना बैंक में सावधि जमा पर फर्म द्वारा प्राप्त ब्याज	30,000
4.	भारत में स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों को प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक सेवाएं	50,000
5.	एबीसी फाइनेंस लिमिटेड - दिल्ली में स्थित एक एनबीएफसी को वसूली दलाल सेवाएं प्रदान की गईं	1,00,000
6.	एक्सवार्डजेड लिमिटेड को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सेवाएँ - जीएसटी के तहत एक पंजीकृत व्यक्ति	80,000
7.	एक शैक्षिक संस्थान चलाने से प्राप्तियां (छात्रों को संस्थान द्वारा ₹ 18,20,000 की आवासीय आवास सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्तियां सहित)	35,00,000
8.	एनपीएस लिमिटेड को मोटर वाहन सेवा किराए पर देने के प्रावधान के लिए ईंधन की लागत सहित आपूर्ति मूल्य	88,000

मार्च 2022 के महीने के लिए मैसर्स ए2जेड की जीएसटी देयता (प्राप्त आपूर्ति के लिए देयता सहित) प्रत्येक आइटम के उपचार के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ निर्धारित करें। आवक और जावक दोनों आपूर्ति के लिए कर की दर सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक @ 9% है, सिवाय एक वाहन किराए पर लेने की सेवा के

लिए जिसके लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी @ 2.5% प्रत्येक लागू है। सभी आपूर्ति केवल अंतर-राज्य हैं। (9 अंक)

- (b) संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अनिवासी भारतीय ने ओम चैरिटेबल ट्रस्ट (ओसीटी) को खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी दान की। हालाँकि, ओसीटी ने भारत में स्थानीय दलाल को दलाली का भुगतान किया।

सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त ने प्रतिरूपित और विकास शुल्क सहित मशीन का एफओबी मूल्य 17,500 अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया। ट्रस्ट ने निर्धारित मूल्य को स्वीकार कर लिया। भुगतान किया गया वास्तविक हवाई भाड़ा US \$ 4,000 था और बीमा लागत US \$ 1,500 थी। उपलब्ध अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं:

- (i) निर्यातक के स्थानीय दलाल को दिया जाने वाला दलाली 2,100 अमेरिकी डॉलर (1,57,500 रुपये में भुगतान) है।
- (ii) आगम पत्र प्रस्तुति की तिथि 25 मार्च, 2022 है। इस तारीख को बीसीडी की दर 10% है। सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित विनिमय दर ₹75 प्रति यूएस डॉलर है; रिज़र्व बैंक दर ₹ 76 प्रति यूएस डॉलर है।
- (iii) सीमा शुल्क स्टेशन पर विमान के आगमन की तिथि 5 अप्रैल, 2022 है। इस तिथि पर, बीसीडी की दर 15% है, सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित विनिमय दर ₹74 प्रति यूएस डॉलर है; रिज़र्व बैंक दर ₹ 75 प्रति यूएस डॉलर है।
- (iv) सामाजिक कल्याण अधिभार 10% की दर से लगाया जा सकता है और लागू। जीएसटी दर 18% है।

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत निर्धारण योग्य मूल्य की गणना करें और मशीन के आयात पर देय मूल सीमा शुल्क, सामाजिक कल्याण अधिभार और आईजीएसटी की भी गणना करें। मान लें कि इस लेन-देन पर कोई छूट उपलब्ध नहीं है और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त अनुमान लगाएं। (5 अंक)

उत्तर

(a) मार्च 2022 के महीने के लिए मेसर्स ए2जेड की जीएसटी देनदारी की गणना⁶

क्रमांक संख्या	विवरण	सी.जी.एस.टी (₹)	एस.जी.एस.टी (₹)
1.	आलू के चिप्स की लदान, उतराई, भराई और भंडारण [कृषि उपज की लदान, उतराई, भराई और भंडारण को छूट है। हालाँकि, आलू के चिप्स कृषि उत्पाद नहीं हैं।]	1,350 [15,000 × 9%]	1,350 [15,000 × 9%]
2.	योग शिविर के लिए फीस का भुगतान [योग की उन्नति के माध्यम से आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत पंजीकृत एक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं छूट प्राप्त हैं।]	--	--
3.	सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज [जहाँ तक ब्याज के रूप में प्रतिफल का प्रतिनिधित्व किया जाता है, सावधि जमा का विस्तार करने की सेवाएं छूट प्राप्त हैं।]	--	--
4.	भारत में स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों को प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक सेवाएं [Not exempt.]	4,500 [50,000 × 9%]	4,500 [50,000 × 9%]
5.	एनबीएफसी एबीसी फाइनेंस लिमिटेड को वसूली दलाल सेवाएं प्रदान की गईं [चूंकि ऐसी सेवाएं किसी एनबीएफसी को प्रदान की जा रही हैं, तो उस पर कर प्राप्तकर्ता - एबीसी फाइनेंस लिमिटेड -	--	--

⁶ प्रश्न में दी गई राशि को जीएसटी के अतिरिक्त माना गया है। हालाँकि, यह मान लेना भी संभव है कि प्रश्न में दी गई राशि में जीएसटी शामिल है।

	अधोमुखी प्रभार [आरसीएम] के तहत देय होगा।]		
6.	एक्सवाईजेड लिमिटेड, एक पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की गई सुरक्षा सेवाएँ [चूंकि ऐसी सेवाएं एक गैर-निकाय कॉर्पोरेट द्वारा एक पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की जा रही हैं, उस पर कर प्राप्तकर्ता द्वारा देय है - एक्सवाईजेड लिमिटेड - अधोमुखी प्रभार [आरसीएम] के तहत।]	--	--
7.	एक शैक्षिक संस्थान चलाने से प्राप्तियाँ ⁷ (आवासीय आवास सेवा के लिए प्राप्तियाँ सहित) [एक शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं और निवास के रूप में उपयोग के लिए आवासीय आवास को किराए पर देने के माध्यम से सेवाएं छूट प्राप्त हैं।]	--	--
8.	<u>वैकल्पिक-I: यह माना जाता है कि मोटर वाहन को यात्रियों को ले जाने के लिए प्रतिरूपित किया गया है</u> मोटर वाहन सेवा का किराया [चूंकि मोटर वाहन को किराए पर देने की सेवाओं में देय कर के साथ ईंधन की लागत शामिल है 2.5% सीजीएसटी/एसजीएसटीएक गैर-निकाय	--	--

⁷ यह सबसे तार्किक रूप से माना गया है कि शैक्षणिक संस्थान अधिसूचना संख्या 12/2017 सीटी (आर) दिनांक 28.06.2017/अधिसूचना संख्या 9/2017 आईटी (आर) दिनांक 28.06.2017 के तहत परिभाषित संस्थान है। इसके अलावा, शैक्षिक संस्थान चलाने से शेष प्राप्तियाँ (आवासीय आवास सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्तियों के अलावा) इसके छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित हैं।

	कॉर्पोरेट द्वारा एक निकाय कॉर्पोरेट को प्रदान किया जा रहा है, उसी पर कर प्राप्तकर्ता द्वारा देय है - एनपीएस लिमिटेड- अधोमुखी प्रभार [आरसीएम] के तहत।		
	या		
	<u>वैकल्पिक - II: यह माना जाता है कि मोटर वाहन को माल ले जाने के लिए प्रतिरूपित किया गया है</u> मोटर वाहन सेवा का किराया [Not exempt.]	2,200 [88,000 × 2.5%]	2,200 [88,000 × 2.5%]
	<u>वैकल्पिक-I: यह माना जाता है कि मोटर वाहन को यात्रियों को ले जाने के लिए प्रतिरूपित किया गया है</u> कुल जीएसटी देयता	5,850	5,850
	या		
	<u>वैकल्पिक - II: यह माना जाता है कि मोटर वाहन को माल ले जाने के लिए प्रतिरूपित किया गया है</u> कुल जीएसटी देयता ⁸	8,050	8,050

(b) निर्धारण योग्य मूल्य, बुनियादी सीमा शुल्क, सामाजिक कल्याण अधिभार और आईजीएसटी की गणना

विवरण (ब्यौरा)	राशि (\$)
----------------	-----------

⁸ चूंकि प्रश्न में आपूर्तिकर्ता - मैसर्स ए2जेड की जीएसटी देयता की गणना की आवश्यकता है, मैसर्स ए2जेड की उन बाहरी आपूर्तियों पर जहां प्राप्तकर्ता अधोमुखी प्रभार के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जीएसटी देयता की गणना करते समय इस पर विचार नहीं किया गया है।

सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा गणना की गई एफओबी मूल्य (डिजाइन और विकास शुल्क सहित ⁹)	17,500
जोड़ें: भारत में स्थानीय दलाल को दी गयी दलाली [शामिल है क्योंकि यह खरीद आयोग नहीं है]	<u>2,100</u>
सीमा शुल्क के अनुसार एफओबी मूल्य	19,600
जोड़ें: हवाई माल भाड़ा (\$ 19,600 × 20%) [एफओबी मूल्य के 20% तक सीमित क्योंकि माल हवाई मार्ग से आयात किया जाता है।]	3,920
जोड़ें: वास्तविक बीमा शुल्क	1,500
आकलन योग्य मूल्य \$	25,020
रुपये में निर्धारणीय मूल्य [\$ 25,020 × ₹ 75] [आगम पत्र दाखिल करने की तिथि पर सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर विचार किया जाता है।]	₹ 18,76,500
विवरण (ब्यौरा)	₹
जोड़ें: ₹18,76,500 पर मूल सीमा शुल्क @ 15% [बीसीडी की दर आगम पत्र की प्रस्तुति की तारीख या विमान के आगमन की तारीख पर लागू दर है, जो भी बाद में हो]	2,81,475
जोड़ें: समाज कल्याण अधिभार @ 2,81,475 पर 10% (राउंड ऑफ)	<u>28,148</u>
कुल	21,86,123
₹ 21,86,123 के 18% की दर से एकीकृत कर (पूर्णांक में)	3,93,502

प्रश्न 3

(a) नीचे (i) और (ii) में लेनदेन के मामले में, निर्धारित करें कि प्राप्त राशि जीएसटी के लिए उत्तरदायी है या नहीं। संक्षेप में अपने निष्कर्ष के समर्थन में लागू वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें।

⁹ यह सबसे तार्किक रूप से माना गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिरूपित और विकास किया जाता है और आयातित वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है।

- (i) एबीसी लिमिटेड, एक पंजीकृत बैंक, ने एक ग्राहक, सी एंड कंपनी से ₹ 5,250 का चेक छूट शुल्क वसूल किया (2 अंक)
- (ii) टी लिमिटेड, वातानुकूलक का एक डीलर, प्रत्येक इकाई को ₹ 30,000 प्रति इकाई के सूची मूल्य पर आपूर्ति करता है। उसके पास एक ईएमआई योजना भी है जहां ग्राहक तीन किश्तों में देय 10,500 रुपये की मासिक ईएमआई पर वातानुकूलक की वितरण ले सकता है। टी लिमिटेड मासिक किश्तों के भुगतान में किसी भी देरी के लिए ₹ 600 अतिरिक्त शुल्क लेता है और यह राशि ग्राहक वेंकट से उसकी दूसरी किस्त के भुगतान में देरी के लिए वसूल की गई थी। (2 अंक)
- (iii) मेसर्स एयरोस्पेस एयरलाइंस, जिसका जीएसटी के तहत मुंबई में पंजीकृत व्यापार स्थान है, ने लंदन से दिल्ली के लिए एक टिकट जारी किया, आगरा, यूपी के निवासी श्री अजीत खन्ना, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं हैं। कानूनी प्रावधानों से संबंधित सहायक नोटों के साथ 'आपूर्ति का स्थान' निर्धारित करें। (1 मार्क)
- (b) मंगेश एंटरप्राइजेज, गोवा, एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, ने फरवरी 2022 के महीने में निम्नलिखित आपूर्ति की है:
- (i) 1,500 के दैनिक किराए पर ग्राहकों को कूलिंग, हीटिंग, इंटरनेट और पार्किंग की सुविधाओं के साथ गेस्ट हाउस आवास की आपूर्ति। मंगेश एंटरप्राइजेज में 20 अतिथि सुइट हैं। महीने के दौरान, 50% अधिभोग था। जिन लोगों ने इसका विकल्प चुना उनके लिए खानपान और भोजन सेवा की आपूर्ति अलग से ₹ 500 प्रति दिन की दर से की गई। खानपान और भोजन सेवा के लिए एकत्रित कुल राशि ₹ 70,000 थी।
- (ii) छह महीने के लिए 1 फरवरी, 2022 से प्रभावी एक अनुबंध के तहत एक सॉफ्टवेयर कंपनी को मासिक वातानुकूलित रखरखाव सेवाएं (अंतर-राज्य) की आपूर्ति की। अनुबंध में सेवा की शर्तों के अनुसार, सॉफ्टवेयर कंपनी पूरी अवधि के लिए ₹ 12,000 के सेवा शुल्क के साथ-साथ पुर्जों की लागत और वास्तविक रूप से प्रतिस्थापन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। कर अलग हैं और कानून के अनुसार देय हैं। मंगेश एंटरप्राइजेज ने अभी तक चालान नहीं

बनाया है, हालांकि फरवरी, 2022 के लिए सेवा प्रदान की गई थी। माह के दौरान, कंपनी ने अनुरक्षण सेवा के भाग के रूप में कोई पुर्जें या प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अलावा, चिंता को उपरोक्त सेवाओं के लिए कोई राशि नहीं मिली है।

जीएसटी की दरों को निम्नानुसार मानें:

क्रमांक संख्या	विवरण	जीएसटी की दर (सीजीएसटी + एसजीएसटी)
1	वातानुकूलक का रखरखाव	18%
2	खानपान सेवा	5%
3	गेस्ट हाउस सेवा का किराया	18%
4	पार्किंग सेवा	18%

उपरोक्त जानकारी की मदद से, मंगेश एंटरप्राइजेज द्वारा फरवरी, 2022 के लिए की गई उपरोक्त प्रत्येक आपूर्ति की जांच करें और की गई आपूर्ति पर लागू जीएसटी की दर और राशि का निर्धारण करें।
(2 + 2 = 4 अंक)

हार्ड डिस्क ड्राइव पर लोड किए गए सॉफ्टवेयर के साथ आपूर्ति किए गए लैपटॉप को लैपटॉप के रूप में वर्गीकृत किया जाना है और मूल्यांकन को एक इकाई के रूप में बनाया जाना है। वर्गीकरण को भी तदनुसार निर्धारित किया जाना है।" सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत लैपटॉप के वर्गीकरण और मूल्यांकन के संदर्भ में प्रासंगिक नियमों और प्रासंगिक न्यायिक घोषणा, यदि कोई हो, के साथ इस कथन की जांच करें।
(5 अंक)

उत्तर

- (a) (i) चेक छूट को जीएसटी से केवल उस सीमा तक छूट दी गई है, जिस सीमा तक छूट के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है।

छूट के अलावा कोई भी शुल्क जीएसटी से मुक्त नहीं है।

इस प्रकार, एबीसी लिमिटेड द्वारा चेक छूट पर वसूल किए गए शुल्क जीएसटी के लिए उत्तरदायी हैं।

ध्यान दें : उपरोक्त उत्तर में, यह माना गया है कि चेक भुनाई शुल्क छूट के ऊपर और ऊपर एकत्र किए गए सेवा शुल्क हैं। हालाँकि, यह मान लेना भी संभव है कि उक्त शुल्क छूट राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस मामले में, उक्त शुल्कों को जीएसटी से छूट दी जाएगी।

- (ii) जहाँ तक प्रतिफल को ब्याज के रूप में दर्शाया गया है, जमा, ऋण या अग्रिम देने की सेवा छूट प्राप्त है।

दूसरी मासिक किस्त के भुगतान में देरी के लिए वसूला गया अतिरिक्त शुल्क कर योग्य है और वातानुकूलक की आपूर्ति के मूल्य में शामिल है।

- (iii) श्री अजीत खन्ना - एक अपंजीकृत व्यक्ति - को यात्री परिवहन सेवा की आपूर्ति का स्थान लंदन है, अर्थात् वह स्थान जहाँ से उन्होंने निरंतर यात्रा के लिए परिवहन शुरू किया था।

(b) (i) जीएसटी की दर और राशि का निर्धारण

विवरण (ब्यौरा)	जी एस टी की दर	जीएसटी [सीजीएसटी+एसजीएसटी] (₹)
अन्य सुविधाओं के साथ गेस्ट हाउस किराए पर लेने की समग्र आपूर्ति [गेस्ट हाउस का किराया मुख्य आपूर्ति है।]	18% (मूल आपूर्ति की दर)	75,600 [37,800+37,800] [₹ 1,500 × 20 सुइट्स × 50% × 28 दिन × 18%]
खानपान और भोजन सेवाओं की अलग आपूर्ति	5%	3,500 [1,750+1,750] [₹ 70,000 × 5%]

- (ii) दिए गए मामले में जीएसटी की दर 18% है, यानी वातानुकूलित रखरखाव सेवा पर लागू जीएसटी की दर। चूंकि दी गई आपूर्ति सेवा की निरंतर आपूर्ति है जहां अनुबंध के अनुसार, देय तिथि निश्चित नहीं है, उक्त सेवाओं की आपूर्ति का समय फरवरी 2022 में नहीं पड़ता है और इस प्रकार, उक्त महीने के लिए कोई जीएसटी देय नहीं है।

- (c) लैपटॉप में प्रीलोडेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लैपटॉप का एक अभिन्न अंग है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक न्यायिक फैसले में¹⁰, इस सवाल का कि क्या हार्ड डिस्क ड्राइव पर लोड किए गए सॉफ्टवेयर के साथ आपूर्ति किए गए लैपटॉप को लैपटॉप के रूप में वर्गीकृत किया जाना है, इसका उत्तर हां में दिया गया है।

कोर्ट ने कहा कि विंडोज जैसे ऑपरेटिंग प्रणाली के बिना लैपटॉप काम नहीं कर सकता। इसलिए, सॉफ्टवेयर के साथ लैपटॉप को लैपटॉप के रूप में वर्गीकृत किया जाना है और मूल्यांकन के लिए, सॉफ्टवेयर के साथ लैपटॉप को एक इकाई/लैपटॉप के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।

अतः कथन सही है।

प्रश्न 4

- (a) अग्नि लिमिटेड ने 11 अप्रैल 2021 को जनवरी 2021 के महीने के लिए जीएसटी रिटर्न (धारा 39 के तहत) दाखिल किया। उक्त वापसी की मूल देय तिथि 20 फरवरी 2021 थी। उक्त माह के लिए देय कर निर्धारण का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण (ब्यौरा)	सीजीएसटी (₹)	एसजीएसटी (₹)
देय आउटपुट कर	1,80,000	1,80,000
प्रतिलोम प्रभारके तहत देय कर	40,000	40,000

¹⁰ सीसी बनाम हेवलेट पैकार्ड इंडिया सेल्स (पी) लिमिटेड 2007 (215) E.L.T. 484 (S.C.)

उपयोग के लिए उपलब्ध इनपुट कर ऋण	70,000	70,000
---------------------------------	--------	--------

- (i) उक्त रिटर्न दाखिल करते समय नकद में देय शुद्ध कर की गणना करें और साथ ही कर के विलंबित प्रेषण के लिए देय ब्याज की गणना करें।
- (ii) यह मानते हुए कि कंपनी के पास उक्त महीने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक के तहत ₹ 2,50,000 का आईटीसी बैलेंस है, देय ब्याज की गणना करें, यदि उक्त महीने के लिए देय पूरे कर का भुगतान संभव सीमा तक इलेक्ट्रॉनिक ऋण लेजर के माध्यम से किया गया था। अधिनियम के प्रावधान।
- (b) जीएसटी प्रक्रियाओं से संबंधित दी गई स्वतंत्र स्थितियों पर टिप्पणी करें। आपके उत्तर में कानून के प्रासंगिक प्रावधान शामिल होने चाहिए, जो लागू हो सकते हैं:
- (i) जुगनू इंटरप्राइजेज, एक व्यापारी जो दिल्ली राज्य के भीतर दवाओं की खरीद और बिक्री में लगा हुआ है, जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है। यह 15 जुलाई 2021 को 20 लाख के कारोबार को पार कर गया और 14 फरवरी 2022 को 40 लाख के कारोबार को भी पार कर गया। इसने 28 फरवरी को जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया और पंजीकरण प्रमाण पत्र 2 मार्च 2022 को प्रदान किया गया। वह तिथि निर्धारित करें जिस पर पंजीकरण करने की देयता उत्पन्न होती है और इस मामले में पंजीकरण की प्रभावी तिथि।
- (ii) गोदूड्रेस दिल्ली में पांच शोरूम के माध्यम से रेडीमेड कपड़ों में काम करने वाली दुकानों की एक श्रृंखला है। दिल्ली में इसके सभी शोरूमों के लिए इसका एक ही जीएसटीआईएन है और दिल्ली के करोल बाग में व्यापार का एक प्रमुख स्थान है। सलाहकारों में से एक ने गोदूड्रेस को बेहतर प्रशासन और नियंत्रण के लिए करोल बाग, दिल्ली में व्यापार के प्रमुख स्थान पर अपने सभी पांच शोरूमों के खातों की पुस्तकों को बनाए रखने का सुझाव दिया है। जीएसटी कानून के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त सलाह पर अपनी टिप्पणी दें।

(2 + 2 = 4 अंक)

(c) जोगिंदर एंड कंपनी ने 15 दिसंबर 2021 को उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए आगम पत्र के माध्यम से ₹ 12,00,000 मूल्य के सामान का आयात किया, जिस तारीख को सीमा शुल्क की दर 20% थी। उचित अधिकारी ने फैसला किया कि माल रासायनिक या अन्य परीक्षण के अधीन होना चाहिए और इसलिए, उसी का अस्थायी रूप से ₹10,00,000 के मूल्य पर मूल्यांकन किया गया था और लक्ष्मी कंपनी ने उसी तारीख को 2,40,000 रुपये के अनंतिम शुल्क का भुगतान किया था।

अनंतिम मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए भुगतान किए जाने से पहले किन शर्तों का अनुपालन किया जाना है?

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 के तहत देय ब्याज की राशि, यदि कोई हो, यह मानते हुए निर्धारित करें कि अंतिम शुल्क का भुगतान 31 जनवरी 2022 को ₹ 3,80,000 पर निर्धारित किया गया है और शेष शुल्क का भुगतान उसी दिन किया गया है।

(5 अंक)

उत्तर

(a) (i) कर अवधि के दौरान की गई आपूर्ति के संबंध में देय कर पर ब्याज और देय तिथि के बाद प्रस्तुत उक्त अवधि के लिए रिटर्न में घोषित केवल इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही के माध्यम से भुगतान किए गए कर पर लगाया जाएगा।

दिए गए मामले में, चूंकि रिटर्न देर से दाखिल किया गया है, नकद में देय शुद्ध कर और उस पर ब्याज की गणना निम्नानुसार की जाती है:

विवरण (ब्यौरा)	सीजीएसटी (₹)	एसजीएसटी (₹)
देय आउटपुट कर	1,80,000	1,80,000
घटाएँ: सीजीएसटी और एसजीएसटी के ऋण का उपयोग क्रमशः सीजीएसटी और एसजीएसटी के भुगतान के लिए किया जाएगा	70,000	70,000
योग्य शुद्ध कर (A)	1,10,000	1,10,000

अधोमुखी प्रभार के तहत कर नकद में देय है (B)	40,000	40,000
नकद में देय शुद्ध कर [(A) + (B)]	1,50,000	1,50,000
देय ब्याज @ 18% प्रति वर्ष (राउंड ऑफ)	3,699 [1,50,000 × 18% × 50/365]	3,699 [1,50,000 × 18% × 50/365]

- (ii) उपरोक्त मामले में, यदि उपलब्ध आईटीसी प्रत्येक सीजीएसटी और एसजीएसटी का ₹2,50,000 है, तो नकद में देय प्रक्षेपण कर शून्य (सीजीएसटी और एसजीएसटी) होगा। हालांकि, शेष उपलब्ध आईटीसी का उपयोग अधोमुखी प्रभार के तहत देय कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक प्रक्षेपण कर नहीं है। इसलिए, कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज इस प्रकार होगा:

विवरण (ब्यौरा)	सीजीएसटी (₹)	एसजीएसटी (₹)
देय ब्याज @ 18% प्रति वर्ष (राउंड ऑफ)	986 [40,000 × 18% × 50/365]	986 [40,000 × 18% × 50/365]

- (b) (i) चूंकि जुगनू एंटरप्राइजेज विशेष रूप से दिल्ली में माल की अंतर-राज्य कर योग्य आपूर्ति में लगी हुई है, इसलिए इसका कुल कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक होने पर, यानी 14 फरवरी, 2022 को पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

इसके अलावा, चूंकि इसने पंजीकरण के लिए उत्तरदायी बनने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, पंजीकरण की प्रभावी तिथि वह तिथि है जिस पर यह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाती है, अर्थात् 14 फरवरी, 2022।

- (ii) सलाहकार का सुझाव सही नहीं है।

प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को अपने व्यवसाय के मुख्य स्थान पर अपने खातों की पुस्तकों को रखने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

जहाँ पंजीकरण प्रमाण पत्र में व्यवसाय के एक से अधिक स्थान निर्दिष्ट हैं, व्यवसाय के प्रत्येक स्थान से संबंधित खातों को व्यवसाय के ऐसे स्थानों पर रखा जाएगा।

- (c) शुल्क के अनंतिम मूल्यांकन से पहले, आयातक अंतिम रूप से निर्धारित शुल्क और अनंतिम रूप से निर्धारित शुल्क के बीच की कमी की मांग पर भुगतान करने के उद्देश्य से एक बांड निष्पादित करेगा और शुल्क के भुगतान के लिए सुरक्षा की निर्धारित राशि प्रस्तुत करेगा। कमी।

आयातक उस महीने के पहले दिन से 15% प्रति वर्ष की दर से अंतिम निर्धारण आदेश के परिणामस्वरूप देय किसी भी राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें भुगतान की तिथि तक शुल्क का अनंतिम रूप से मूल्यांकन किया जाता है।

तदनुसार, देय ब्याज की राशि होगी

$$= ₹ 1,40,000 \times 15\% \times 62/365$$

$$= ₹4,956 \text{ (पूर्णांक)}$$

प्रश्न 5

- (a) चंदन एंड कंपनी द्वारा दायर रिटर्न की जांच पर, विभाग ने कंपनी द्वारा दावा किए गए आईटीसी में कुछ विसंगति पाई और परिणामस्वरूप सीजीएसटी अधिनियम की धारा 65 के तहत विभागीय ऑडिट किया गया। फरवरी में ऑडिट के निष्कर्ष पर, विभाग ने कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी ने गलत तरीके से और जानबूझकर जनवरी के महीने के लिए माल की वास्तविक प्राप्ति के बिना रिटर्न में आईटीसी का दावा किया था। केंद्रीय कर के संयुक्त आयुक्त ने कंपनी द्वारा एससीएन को दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर 28 अप्रैल को एक लिखित आदेश पारित किया जो कंपनी को 1 मई को प्राप्त हुआ। आदेश ने ₹ 30,00,000 (यानी, सीजीएसटी ₹ 15,00,000 और

एसजीएसटी ₹ 15,00,000) की कर मांग की पुष्टि की और धारा 74 के तहत समान राशि का जुर्माना लगाया।

आदेश से असंतुष्ट, चंदन एंड कंपनी ने निर्णय के आदेश को पूरी तरह से चुनौती देने का फैसला किया। यह निम्नलिखित मुद्दों पर सलाह मांगता है -

- (i) इसे किससे अपील करनी चाहिए? क्या यह सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है?
- (ii) दिए गए मामले में अपील दायर करने की समय सीमा क्या है?
- (iii) क्या किसी राशि के पूर्व-जमा की कोई आवश्यकता है और यदि हां, तो राशि कितनी होगी?

चंदन एंड कंपनी को अपनी कानूनी और तर्कपूर्ण सलाह दें (5 अंक)

- (b) ऑक्टा मैन्युफैक्चरर्स, जालंधर, एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, अपने आपूर्तिकर्ता डावसन लिमिटेड को माल पर कुछ संचालन करने के लिए अपने कारखाने के बाहर कामगार, जे इंटरप्राइजेज को सीधे एक सीएनसी मशीन भेजने का निर्देश देता है। आपूर्तिकर्ता द्वारा सीएनसी मशीन पर भेजी गई थी मार्च 2018 और 10 मार्च को कामगार द्वारा प्राप्त किया गया था। जे इंटरप्राइजेज ने कामगार किया और 1 मार्च 2021 को सीएनसी मशीन प्रिंसिपल, ऑक्टा मैन्युफैक्चरर्स को लौटा दी।

- (i) क्या ऑक्टा निर्माता सीएनसी मशीन पर प्राप्त आईटीसी को अपने पास रख सकते हैं?
- (ii) क्या आपका उत्तर वही होगा यदि सीएनसी मशीन के स्थान पर कामगार को जिग्स और फिक्स्चर की आपूर्ति की गई थी जो 1 मार्च 2021 को प्रिंसिपल को वापस कर दी गई थी।

(4 अंक)

- (c) (i) संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी और नागरिक श्री क्लिफ पॉल एक व्यापारिक दौरे पर भारत आते हैं। उसने निकासी के उद्देश्य से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 77 के तहत अपने सामान के बारे में उचित अधिकारी को घोषणा की। घोषणा की जांच के दौरान, उचित अधिकारी ने पाया कि उसके साथ लाए गए सामान में घोषित कुछ वस्तुओं को भारत में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और अधिकारी द्वारा हिरासत में लिया गया था।

हालाँकि श्री पॉल ने उन लेखों को साफ़ करने पर जोर नहीं दिया, लेकिन उन लेखों का मूल्य बहुत अधिक था और यह उनके लिए एक कठिन स्थिति थी। स्थिति पर काबू पाने के लिए आपको सीमा शुल्क कानून के तहत निर्धारित किसी भी प्रक्रिया की सलाह देने की आवश्यकता है। प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के आधार पर अपनी सलाह दें। (3 अंक)

- (ii) रघु लिमिटेड ने जापान से एक मशीन का आयात किया। भुगतान में भारत में रघु लिमिटेड की साइट पर स्थापना और परीक्षण के लिए पोस्ट आयात शुल्क के लिए ₹ 2,00,000 शामिल हैं। ये शुल्क आयातित मशीन की बिक्री के लिए एक शर्त के रूप में देय हैं। विभाग का तर्क है कि यह राशि निर्धारणीय मूल्य में शामिल है। विभाग द्वारा लिए गए ठहराव की शुद्धता की जांच करें। (2 अंक)

उत्तर

- (a) (i) संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अपील प्राधिकारी - आयुक्त (अपील) के समक्ष होती है।

चंदन एंड कंपनी सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकती। इसे पहले अपीलीय प्राधिकरण और फिर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की आवश्यकता है। हालाँकि, राहत के लिए सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जा सकती है।

- (ii) दिए गए मामले में अपील दायर करने की समय-सीमा उस आदेश के संप्रेषण की तारीख से 3 महीने है जिसके खिलाफ अपील की गई है, यानी 1 मई से 3 महीने। इसलिए, अपील 1 अगस्त को या उससे पहले दायर की जानी चाहिए।

- (iii) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील तब तक दायर नहीं की जा सकती जब तक कि अपीलकर्ता - चंदन एंड कंपनी ने निम्नलिखित की राशि के रूप में गणना की गई ₹3,00,000 की पूर्व-जमा राशि का भुगतान नहीं किया है:

- (a) उसके द्वारा स्वीकार किए गए आदेश से उत्पन्न होने वाले कर, ब्याज और जुर्माने की पूरी राशि, अर्थात् नील, और

(b) विवाद में शेष कर का 10% (₹ 30,00,000) आदेश से उत्पन्न होता है, अर्थात् ₹ 3,00,000।

- (b) (i) कामगार को सीधे भेजे गए पूंजीगत वस्तुएं को कामगार द्वारा इस तरह के पूंजीगत वस्तुएं की प्राप्ति की तारीख से 3 साल के भीतर मूलधन को वापस करना आवश्यक है। ऐसे मामले में, प्रिंसिपल ऐसे पूंजीगत वस्तुएं पर चुकाए गए कर के ऋण का लाभ उठा सकता है।

ऑक्टा मैनुफैक्चरर्स पूंजीगत वस्तुएं पर आईटीसी लेने और बनाए रखने का हकदार है - सीएनसी मशीन सीधे कामगार को कामगार के लिए भेजी जाती है- जे. इंटरप्राइजेज - अपने परिसर में लाए बिना क्योंकि उक्त मशीन को 3 साल की निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर वापस कर दिया गया था। जे. इंटरप्राइजेज द्वारा इसकी प्राप्ति की तारीख।

- (ii) 3 वर्ष की पूर्वोक्त समयावधि कामगार के लिए बाहर भेजे गए मोल्ड्स और डाइज, जिग्स और फिक्स्चर या टूल्स पर लागू नहीं होती है।

इसलिए, उस मामले में भी, ऑक्टा मैनुफैक्चरर्स मोल्ड्स और डाई आदि के संबंध में आईटीसी लेने और बनाए रखने का हकदार है।

- (c) (i) जहां किसी यात्री के सामान में धारा 77 के तहत उसके द्वारा घोषित कोई निषिद्ध वस्तु शामिल है, उचित अधिकारी, यात्री के अनुरोध पर, भारत छोड़ने पर उसे वापस करने के उद्देश्य से ऐसी वस्तु को रोक सकता है।

दिए गए मामले में, उचित अधिकारी ने श्री क्लिफ पॉल द्वारा घोषित और लाई गई निषिद्ध वस्तु को हिरासत में लिया है। ऐसी वस्तुएं उसके भारत छोड़ने पर उसे लौटा दी जाएंगी।

इसके अलावा, यदि किसी कारण से, वह भारत छोड़ने के समय इसे लेने में सक्षम नहीं होता है, तो उक्त वस्तु उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य यात्री के माध्यम से और भारत छोड़ने या उसके नाम पर भेजे गए कार्गो के रूप में वापस की जा सकती है।

- (ii) आयातक की साइट पर स्थापना और परीक्षण के लिए किया गया भुगतान आयातित वस्तुओं के निर्धारण योग्य मूल्य में शामिल है क्योंकि कहा गया

भुगतान खरीदार द्वारा विक्रेता को ऐसे सामानों की बिक्री की शर्त के रूप में किया जाता है, भले ही आयातित सामान उक्त प्रक्रिया के अधीन हों। उनके आयात के बाद।

विभाग का ठहराव सही है।

प्रश्न 6

- (a) उन आपूर्तिकर्ताओं की गणना करें जिनके लिए डायनेमिक क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड लागू नहीं होता है जब वे एक अपंजीकृत व्यक्ति को चालान जारी करते हैं।
(4 अंक)

या

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 90 के संदर्भ में, कर का भुगतान करने के लिए एक फर्म के भागीदारों की देयता पर संक्षेप में चर्चा करें।

- (b) तलाशी या जब्ती की शक्ति के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 67 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की सूची बनाएं। (5 अंक)
- (c) अग्रिम प्राधिकरण और डीएफआईए (शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण) योजनाओं के बीच अंतर करें। (5 अंक)

उत्तर

- (a) डायनेमिक क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड निम्नलिखित आपूर्तिकर्ताओं पर लागू नहीं होता है जब वे अपंजीकृत व्यक्ति को चालान जारी करते हैं: -
- (i) NBFC सहित बीमाकर्ता या बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान
 - (ii) माल ढुलाई में सड़क मार्ग से माल के परिवहन के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति करने वाली माल परिवहन एजेंसी
 - (iii) यात्री परिवहन सेवा के आपूर्तिकर्ता
 - (iv) मल्टीप्लेक्स स्क्रीनों में चलचित्र फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाला व्यक्ति

(v) ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस का उपयोग या पुनर्प्राप्ति (OIDAR) सेवाओं के आपूर्तिकर्ता।

(vi) निर्यात के मामले में

(a) वैकल्पिक

जहां कोई भी फर्म जीएसटी कानून के तहत किसी भी कर, ब्याज या दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, फर्म और फर्म के प्रत्येक भागीदार संयुक्त रूप से और अलग-अलग, इस तरह के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे।

जहाँ कोई भी भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त होता है, वह या फर्म, उस साझेदार की सेवानिवृत्ति की तारीख को लिखित रूप में उस संबंध में एक नोटिस द्वारा आयुक्त को सूचित करेगा।

जहां सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर सूचना दी जाती है, तो ऐसा भागीदार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक कर, ब्याज या दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वह उस तारीख पर निर्धारित हो या नहीं।

हालाँकि, यदि सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाती है, तो ऐसे साथी की देयता उस तारीख तक जारी रहेगी जिस पर आयुक्त द्वारा इस तरह की सूचना प्राप्त नहीं की जाती है।

(b) तलाशी या जब्ती की शक्ति के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 67 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) जब्त किए गए दस्तावेजों/सामानों/चीजों को उनकी जांच के लिए आवश्यक अवधि से अधिक नहीं रखा जाना चाहिए।

दस्तावेजों की फोटोकॉपी वह व्यक्ति ले सकता है जिसकी हिरासत से दस्तावेज जब्त किए गए हैं;

(iv) जब्त किए गए सामानों के मामले में, जहां उनकी जब्ती के 6 महीने के भीतर नोटिस जारी नहीं किया जाता [6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है], सामान उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा जिसके कब्जे से उन्हें जब्त किया गया था।

- (v) जब्ती अधिकारी को जब्त माल की सूची बनानी होगी।
 - (vi) कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों के सामान जैसे खराब होने वाले, खतरनाक आदि को जब्ती के तुरंत बाद निपटाया जा सकता है।
 - (vii) तलाशी और बरामदगी दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। तलाशी के दौरान बनाए गए किसी भी आंकड़ों की प्रतियां निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजने के बजाय, इसे सीजीएसटी के प्रधान आयुक्त/आयुक्त को भेजना होगा।
- (c) अग्रिम प्राधिकरण और डीएफआईए योजनाओं के बीच प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं -
- (i) 'अग्रिम प्राधिकरण' हस्तांतरणीय नहीं है।
निर्यात दायित्व पूरा होने के बाद डीएफआईए हस्तांतरणीय है।
 - (ii) अग्रिम प्राधिकरण योजना के लिए 15% मूल्य वर्धन की आवश्यकता होती है, जबकि डीएफआईए के मामले में, न्यूनतम 20% मूल्य वर्धन की आवश्यकता होती है।
 - (iii) रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए अग्रिम प्राधिकरण योजना उपलब्ध है, लेकिन डीएफआईए नहीं है।
 - (iv) डीएफआईए वहां जारी नहीं किया जा सकता है जहां सायन (मानक आगत-उत्पादक मानदंड) वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त निर्धारित करता है। डीएफआईए केवल तभी जारी किया जा सकता है जब उस उत्पाद को निर्यात करने के लिए SION निर्धारित किया गया हो। अग्रिम प्राधिकरण जारी किया जा सकता है भले ही उस उत्पाद के लिए SION तय नहीं है।
 - (v) 31.03.2022 तक अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत भौतिक आयात या निर्दिष्ट डीम्ड निर्यात पर Iजीएसटी से छूट दी गई है, लेकिन अगर आयात डीएफआईए योजना के तहत है तो ऐसी कोई छूट उपलब्ध नहीं है।